5. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य ठहराने पर सेवा निवृत्ति, मृत्यु/लापता/त्यागपत्र देने की स्थिति में झारखंड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी योजना 2004 में निहित नियमों के अनुरूप सेवान्त तक देय अनुपातिक लाभों को पाने का हकदार सरकारी कर्मी या उनके आश्रित परिवार होंगे ।

6. सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी की स्थिति में बर्खास्तगी संबंधी आदेश में सरकार द्वारा देय लाभों के संबंध में जो आदेश पारित हों अथवा सिर्फ बर्खास्त सरकारी कर्मी के लिए अंशदायी पेंशन योजना में किए गए अंशदान ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, पर इसमें सरकार द्वारा जमा किया गया अंशदान शामिल नहीं होगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रति महालेखाकार(लेखा एवं हक0), झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय को प्रेषित की जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(राजबाला वर्मा)
सरकार के सचिव । 20.2.2009

ज्ञापांक - वि0प्र0-5-1-52/08/...68/वि0...रांची, दिनांक 21.02.2009

प्रतिलिपि- महालेखाकार(लेखा एवं हक0), झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजबाला वर्मा)
सचिव, वित्त विभाग । 20.2.2009

ज्ञापांक - वि0प्र0-5-1-52/08/....68/वि0...रांची, दिनांक 21.02.2009

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजबाला वर्मा)
सचिव, वित्त विभाग ।
20.2.2009